सं0नि0 सं0–7/बजट–46–40/2025 – 50 (7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),

वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

पटना, दिनाक– 29/01/2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत कार्यरत सभी संविदागत कर्मियों के मानदेय में राज्य योजना मद से 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि मद में कुल रू0 42,00,00,000/– (रूपये बियालीस करोड) मात्र राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित विमुक्ति की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सबंध में कहना है कि स्वास्थ्य विभागीय सकल्प स0–339(7) दिनांक–04.10.2025 के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियो के मनोबल बढाने एव प्रभावी कार्य संस्कृति को विकसित करने को दृष्टिगत रखते हुये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत कार्यरत सभी सविदागत कर्मियो द्वारा NHM अन्तर्गत दिनांक 01.09.2025 को आहरित मासिक मानदेय पर 10 प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन राशि के रूप मे राज्य योजना मद से दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। यह प्रोत्साहन राशि प्रत्येक माह के लिए नियत रहेगी तथा इस पर NHM द्वारा अनुमान्य वार्षिक वृद्धि की गणना नही की जाएगी। दिनांक 31.08.2025 के पश्चात नव नियुक्त कर्मियों के Entry Level Salary (मानदेय) पर उक्त 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि लागू होगा ।

2– राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक–7096, दिनांक–12.01.2026 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025–26 के शेष माहों (सितम्बर,2025 से मार्च, 2026 तक) के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत कार्यरत सभी सविदागत कर्मियों के मानदेय में राज्य योजना मद से 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि मद में कुल रू0 42,00,00,000/– (रूपये बियालीस करोड) मात्र की राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

3– अतएव वित्तीय वर्ष 2025–26 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अतर्गत कार्यरत सविदागत कर्मियों के मानदेय में राज्य योजना मद से 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि मद में कुल रू0 42,00,00,000/– (रूपये बियालीस करोड़) मात्र राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4– इस राशि का व्यय का वहन राज्य स्कीम मद के मांग संख्या–20, मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–उप मुख्य शीर्ष–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाऐ–एलोपैथी, उपशीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उप मुख्य शीर्ष–0107–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड–20-2210-03-110-0107, विषय शीर्ष–31 04 (सहायक अनुदान–वेतन) अतर्गत उपबधित राशि से विकलनीय होगा।

5– इस राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा और नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होगें।

6– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि की निकासी बी0टी0सी0 फॉर्म सख्या–46 मे कर खाता अतरण के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पी0एल0 खाता–PBBPLA011 एव विपत्र कोड–00-8448001200027-0001 के अन्तर्गत ledger ID में सुलभ करायेगे। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार विहित प्रक्रिया के अनुसार राशि का व्यय करेगें।

7– राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त विभाग के अद्यतन परिपत्रों के आलोक मे उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेंगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम–341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

8– यह स्वीकृत्यादेश स्वास्थ्य विभागीय सकल्प सं0–339(7) दिनाक–04.10 2025, वित्त विभागीय परिपत्र सं0–2561 / वि0(2) दिनाक–17 04.1998, 2419 / वि0(2) दिनाक–05.04 2007, 8593 / वि0(2) दिनांक–27.11.2007, 96 / वि0(2) दिनांक–03 01.2008, 3923 / वि0(2) दिनांक–09 04 2010 एवं 12888 / वि०, दिनांक–03.12 2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

9– प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

10– प्रारूप मे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–7 / बजट– 46–40 / 2025 के पृष्ठ–......./टि0 पर प्राप्त है ।

11– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी ।

12– राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:–7 / बजट– 46–40 / 2025 – 50 (7A) / स्वा0, पटना, दिनांक–29/01/2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / सभी प्रमडलीय आयुक्त / कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार / जिला पदाधिकारी, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना / अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग / प्रशाखा पदाधिकारी–7 / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव।